

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****दाण्डिक विविध रिट याचिका संख्या - 5163 वर्ष 2026****मनोज कुमार यादव एवं अन्य**

..... याचीगण

बनाम**अपर मुख्य सचिव, गृह, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य**

..... प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : राकेश कुमार अग्रवाल, अनुप्रिया अग्रवाल, रीतू यादव, सक्षम अग्रवाल**प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)**

न्यायालय संख्या - 9**माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान****माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामन्त**

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-विरोधी पक्षकार संख्या-1, 2 एवं 3 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार पाण्डेय को सुना गया।
2. पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, विरोधी पक्षकार संख्या-4 को नोटिस से अभिमुक्ति दी जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह रिट याचिका परमादेश की प्रकृति की रिट चाहते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विरोधी पक्षकारगण को यह निर्देशित किया जाए कि वे याचीगण के शान्तिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करें तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करें।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचीगण वयस्क हैं तथा उन्होंने दिनांक 12.05.2026 को हिन्दू रीति-रिवाजों एवं संस्कारों के अनुसार अपनी स्वेच्छा से परस्पर विवाह किया है। विवाह का एक फोटोग्राफ इस याचिका के साथ संलग्नक संख्या-1 के रूप में संलग्न किया गया है। हाईस्कूल परीक्षा, 2008 के प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र की छायाप्रति इस याचिका के साथ इस तथ्य को प्रमाणित करने हेतु संलग्न की गई है कि याची संख्या-1 वयस्क है, क्योंकि उसकी जन्मतिथि 15.03.1989 है। हाईस्कूल अंकपत्र के अनुसार याची संख्या-2 की जन्मतिथि 13.05.1994 है, जिसकी छायाप्रति इस याचिका के साथ संलग्नक संख्या-2 के रूप में संलग्न की गई है। यह अभिकथित किया गया है कि विरोधी पक्षकार संख्या-4 इस विवाह से प्रसन्न नहीं है और इस कारण वह याचीगण के शान्तिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि इस सम्बन्ध में याचीगण के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की गई है।

5. लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2006 (5) एस.सी.सी. 475 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तर-17 में निम्नानुसार प्रेक्षण किया है :-

"17. यह एक स्वतन्त्र एवं लोकतान्त्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वह जिससे चाहे विवाह कर सकता है। यदि बालक अथवा बालिका के माता-पिता ऐसे अन्तर्जातीय अथवा अन्तर्धार्मिक विवाह का अनुमोदन नहीं करते, तो वे अधिकतम यही कर सकते हैं कि वे अपने पुत्र अथवा पुत्री से सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद कर लें, किन्तु वे धमकियाँ नहीं दे सकते अथवा हिंसा के कृत्य नहीं कर सकते या उनके लिए दुष्प्रेरित नहीं कर सकते तथा ऐसा अन्तर्जातीय अथवा अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़ित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं कर सकते। अतः, हम निर्देशित करते हैं कि सम्पूर्ण देश में प्रशासन/पुलिस प्राधिकारीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई बालक अथवा बालिका, जो वयस्क है, किसी वयस्क स्त्री अथवा पुरुष के साथ अन्तर्जातीय अथवा अन्तर्धार्मिक विवाह करता है, तो उस दम्पति को किसी के द्वारा उत्पीड़ित न किया जाए, न ही उन्हें धमकियाँ अथवा हिंसा के कृत्यों का सामना करना पड़े, और जो कोई भी ऐसी धमकियाँ देता है अथवा उत्पीड़न करता है या हिंसा के कृत्य स्वयं अथवा अपने दुष्प्रेरण पर करता है, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा दायित्व कार्यवाहियाँ संस्थित करते हुए उसे विधि के कठघरे में लाया जाए तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि द्वारा उपबन्धित कठोर कार्यवाही की जाए।"

6. याचीगण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत संरक्षण हेतु भी अभिवचन किया है, जो अपना जीवन गरिमा के साथ जीने की स्वतन्त्रता प्रत्याभूत करता है।
7. अतः, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि विरोधी पक्षकारगण याचीगण के शान्तिपूर्ण जीवन एवं स्वतन्त्रता में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस विषय पर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व में ही पंजीकृत है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निस्सारित (डिस्चार्ज) हो जाएगा।
9. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने न याचीगण की आयु के विषय में और न ही अभिकथित विवाह की सत्यता/वैधता के विषय में प्रवेश किया है अथवा अधिनिर्णय किया है।
10. याचीगण आज से दो माह के भीतर "उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017" के अन्तर्गत अपना विवाह पंजीकृत कराएँगे, ऐसा न करने पर यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।
11. सम्बन्धित विवाह रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है कि वह याचीगण को पंजीकरण प्रमाणपत्र, विधि के अनुसार कड़ाई से, यथाशीघ्र जारी करने की कार्यवाही करे। विवाह प्रमाणपत्र जारी करते समय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सम्बन्धित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पक्षकारों द्वारा समस्त अपेक्षित औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई हैं।

जून 4, 2026

ए.डी.वाई.

(न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामन्त) (न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।